भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-10

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

†10 श्री अ. मनि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार का ब्यौरा क्या है और शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से सुसज्जित करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) इस योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या और शिक्षण गुणवत्ता पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किस प्रकार की विषय-वस्तु और कौन-सी पद्धतियां प्रयुक्त हुई है;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षकों की इस अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच हो;

(ङ.) इस अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और विगत वर्षों में इन कार्यक्रमों के लिए निधियन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) क्या सरकार ने शिक्षण गुणवत्ता और छात्रों के सीखने के परिणामों पर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु सहयोग किया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत कार्यकलाप का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सहयोग प्रदान करना ताकि वे प्रभावी

ढंग से और कुशलता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा दे सकें, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ एसई) के अनुवर्ती के रूप में राज्य-विशिष्ट पाठ्यक्रम रूपरेखा पर अनुसंधान और विकास कर सकें; जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण; बीआरसी/सीआरसी आदि के माध्यम से स्कूलों को निरंतर शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, विषय शिक्षकों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी और डीआईईटी के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नव नियुक्त शिक्षकों के प्रेरण प्रशिक्षण के लिए वित्तीय प्रावधान प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में समग्र शिक्षा के तहत आवंटित शिक्षक प्रशिक्षण का ब्यौरा अनुलग्नक में *https://www.education.gov.in/parl_ques*. पर उपलब्ध है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजना के समग्र शिक्षा तहत निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है। निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। अक्टूबर, 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। वर्ष 2021-22 में निष्ठा प्रशिक्षण को माध्यमिक स्तर के शिक्षकों तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद, निष्ठा ने मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान एवं प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक भी विस्तार किया।

सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से चरणबद्ध तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत सभी कार्यरत 613 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, सरकार ने 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 125 डीआईईटी के उन्नयन के लिए 92,320.18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है, जिसमें से 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में कुल 30,559.13 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, एनईपी, 2020 के संदर्भ में, सरकार ने शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) पर एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मिशन (एनएमएम) पर ब्लूबुक जारी की है। एनपीएसटी विभिन्न चरणों/स्तरों पर शिक्षकों की योग्यताओं को निर्धारित करता है। एनएमएम पर ब्लूबुक में स्कूल शिक्षकों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन के विभिन्न तौर-तरीके शामिल हैं।

(च): अधिगम में कमी की पहचान करने और नीतियों, शिक्षण प्रथाओं और अधिगम में आवश्यक कार्यकलाप निर्धारित करने के लिए, सरकार तीन (03) वर्षों के चक्र में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित करती है। एनएएस (जिसे अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है) स्कूलों में अधिगम उपलब्धियों के बारे में एक राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन है और हाल ही में 03 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया गया था।

*****

अनुलग्नक

"समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अ. मनि द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)	भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)	भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	545	5.45	962	24.05	1,476	75.20
2	आंध्र प्रदेश	10,580	105.80	64,769	1,887.31	206,171	7,833.73
3	अरुणाचल प्रदेश	1,490	14.90	8,505	447.55	15,249	409.18
4	असम	8,006	80.06	69,265	1,975.97	195,077	8,698.72
5	बिहार	53,684	1,163.42	139,221	6,979.40	437,410	21,847.32
6	चंडीगढ़	768	7.68	3,030	96.96	2,576	64.40
7	छत्तीसगढ	40,335	403.35	48,962	1,468.86	126,878	2,833.01
8	दिल्ली	37,463	386.11	34,232	697.83	53,982	1,080.95
9	दमन और दीव और दादर और नगर हवेली	809	26.51	2,165	119.18	2,926	159.03
10	गोवा	2,416	24.16	3,961	50.38	8,399	134.24
11	गुजरात	20,010	200.10	39,747	777.22	33,220	332.20
12	हरियाणा	36,701	367.01	26,950	427.48	88,331	1,601.68
13	हिमाचल प्रदेश	14,240	142.40	4,083	134.89	24,970	557.80
14	जम्मू और कश्मीर	10,782	107.82	77,890	1,650.49	110,322	2,346.92
15	झारखंड	0	0.00	13,255	331.38	101,126	1,793.78
16	कर्नाटक	17,535	175.35	79,477	1,986.93	387,986	5,384.38
17	केरल	15,827	158.27	0	0.00	0	0.00
18	लद्दाख	596	5.96	2,379	59.48	1,757	44.11
19	लक्षद्वीप	135	1.35	158	1.58	375	4.84
20	मध्य प्रदेश	37,341	973.41	185,732	7,829.74	357,321	12,814.91
21	महाराष्ट्र	68,245	526.38	296,480	3,014.80	300,064	3,200.64
22	मणिपुर	2,307	23.07	7,448	356.65	18,761	963.53
23	मेघालय	1,537	15.37	0	0.00	13,268	154.06
24	मिजोरम	1,031	10.31	839	28.61	1,212	24.24

25	नागालैंड	610	6.10	10,028	317.37	11,188	334.45
26	ओडिशा	6,028	60.28	0	0.00	86,559	432.80
27	पुदुचेरी	979	9.79	900	8.10	6,216	277.40
28	पंजाब	16,608	166.08	37,531	946.85	48,310	672.78
29	राजस्थान	50,798	589.05	41,692	775.87	67,753	1,803.89
30	सिक्किम	133	1.33	2,818	84.54	2,391	69.01
31	तमिलनाडु	46,267	462.67	33,175	856.25	340,554	12,485.66
32	तेलंगाना	0	0.00	38,384	575.76	119,592	3,047.43
33	त्रिपुरा	4,641	46.41	16,561	414.03	29,158	728.95
34	उत्तर प्रदेश	61,285	612.85	304,984	5,701.59	751,153	12,260.98
35	उत्तराखंड	14,480	144.80	12,923	386.98	28,413	718.43
36	पश्चिम बंगाल	62,426	624.26	59,446	649.06	199,637	3,916.57
कुल योग		646,638	7,647.86	1,667,952	41,063.11	4,179,781	109,107.17

(स्रोत: समग्र शिक्षा पीएबीएस)